

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का

ईरान में अमेरिका ने तख्ता पलट की दूसरी बार कार्यवाही की है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने अमेरिकी शक्ति के बारे में एक असहज सवाल फिर से उठा दिया है: क्या बाहर से थोपे गए शासन परिवर्तन कभी स्थायी स्थिरता पैदा कर पाते हैं? एक सदी से भी अधिक समय से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन सरकारों को गिराने के लिए बार-बार सैन्य बल या गुप्त अभियानों का इस्तेमाल किया है, जो उसे शत्रुतापूर्ण या असुविधाजनक लगती हैं। इसके परिणाम एक चेतावनी देने वाली कहानी बताते हैं, हालांकि कुछ हस्तक्षेपों ने अस्थायी व्यवस्था बनाई, लेकिन कई ने अस्थिरता, संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जो उन शासनकालों से कहीं अधिक समय तक चली, जिन्हें हटाया गया था।

सबसे प्रारंभिक उदाहरण 1893 का है, जब हवाई में अमेरिकी व्यापार हितों ने अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ क्वीन लिली योकलानी

- पहली बार 1953 में हस्तक्षेप किया था, जब ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया था। तब अमेरिका ने मोसादेघ का तख्ता पलट कर शाह रजा पहलावी के नेतृत्व में राजतंत्र स्थापित किया। जनता के अमेरिकी विरोध, शाह की तानाशाही के कारण 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया।
- इस्लामिक गणराज्य ईरान हमेशा से अमेरिका विरोधी था। लम्बे समय तक धमकी देने के बाद अन्ततोगत्वा अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया।
- इस तरह के हस्तक्षेप की शुरुआत अमेरिका ने 1893 में हवाई में की और वहां की क्वीन लिली को सत्ता से अपदस्थ कर अपनी मनपसंद सरकार बनाई तथा 1959 में हवाई को अमेरिका का 50 वां राज्य घोषित कर दिया।
- इसी प्रकार अमेरिका ने कई देशों, ग्वाटेमाला, क्यूबा, चिली, डोमिनियन रिपब्लिक, ग्रेनेडा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में सैन्य कार्यवाही कर तख्ता पलट करवाए। कहीं तो ये तख्ता पलट जनता को और उस देश को रास आए पर अधिकांश देशों में जनता की मुश्किलें ही बढ़ीं।

की सरकार को उखाड़ फेंका। राजतंत्र को एक अस्थायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने अंततः 1898 में हवाई को संयुक्त राज्य

अमेरिका में मिला लिया। लंबे समय में, यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया और 1959 में इसे 50वां अमेरिकी राज्य स्वीकार कर लिया गया, हालांकि

इसकी सरकार उखाड़े जाने को ऐतिहासिक रूप से विवादित माना जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पदीय कर्तव्य में कार्यवाही की हो, तो बिन मंजूरी मुकदमा नहीं करें

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों के तहत कोई कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में

- हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया।

याचिकाकर्ता की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विपुल भूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता विजय शर्मा ने मार्च, 2002 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि सुबह लगभग पांच दर्जन लोग उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अमेरिका के हथियार भंडार खाली होने लगे हैं?

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दो दिन में ही अमेरिका 5.6 बिलियन डॉलर के हथियार ईरान पर सैन्य कार्यवाही में खर्च कर चुका था

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। क्या ईरान युद्ध तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका के हथियारों के भंडार खत्म कर रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में सैन्य अभियान शुरू होने के मात्र पहले 48 घंटों में ही अमेरिका लगभग 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। यह अनुमान उस रिपोर्ट पर आधारित है, जो अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की गई थी। ये अनुमान अमेरिकी सरकार के इस दावे से काफी अलग है कि ईरान मिशन से अमेरिका की "सैन्य तैयारियों में तेजी से कमी नहीं आ रही है।"

हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान में 5000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है और 50 से अधिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान की सरकार के मुख्यालय, खुफिया ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कई तरह की सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया है, जिनमें बी-1 बमवर्षक, बी-2 स्टेलथ बमवर्षक और बी-52

- वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा अमेरिका की कांग्रेस में प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। ट्रंप सरकार का दावा है कि ईरान मिशन से अमेरिका के हथियारों का जखीरा कम नहीं होगा।

- हाल ही में अमेरिका ने ईरान में 5000 लक्ष्यों पर बमबारी की, 50 जहाज नष्ट किए। ईरान के कई सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए। इसमें अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरण व हथियार तैनात इस्तेमाल किए हैं।

- संभावना है कि वाइट हाउस इस सप्ताह पूरक रक्षा बजट की मांग कर सकता है जो काफी बड़ा होगा।

- इसी के साथ यह संभावना भी है कि अमेरिका व इजरायल अब लैज़र निर्देशित बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बमवर्षक शामिल हैं। इसके अलावा, लूकस ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम और थाइ एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम भी इस्तेमाल किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान में शामिल लड़ाकू विमानों में एफ-15, एफ-16, एफ-18, एफ-22 और

एफ-35 स्टेलथ फाइटर शामिल हैं। इनके साथ ए-10 अटैक जेट और ईए-18जी इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान भी तैनात किए गए हैं। ई-2डी एडवॉन्स हॉकआई विमान और हवाई संचार रिले प्लेटफॉर्म भी तैनात किए गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने स्पीकर बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

स्पीकर बिड़ला पर खुला पक्षपात करने का आरोप तो है ही साथ ही उन पर कांग्रेस सदस्यों को लेकर झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया गया है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 10 मार्च। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष-समर्थित एक प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग की गई है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भी सदन की कार्यवाही में प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है। विपक्ष ईरान के मुद्दे पर भारत की स्थिति, और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट सहित, कई विषयों पर सरकार की आलोचना कर सकता है।

एक ओर मुद्दा, जो सदन में उठ सकता है, वह है चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। खबरों के

- बजट सत्र के दूसरे भाग के एजेंडा में हालांकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही एक मात्र कार्यक्रम है, लेकिन ईरान युद्ध और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, बंगाल में एसआईआर जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे।

अनुसार, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस मामले को लेकर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है।

कई विपक्षी नेताओं ने ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उनका आरोप है कि अध्यक्ष ने सदन में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ गलत दावे किए, जब उन्होंने लोकसभा में कुछ

अप्रत्याशित घटनाओं का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित न हों। नोटिस दिए जाने के बाद, ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस मामले पर फैसला होने के बाद ही वे सदन में आएंगे।

अविश्वास प्रस्ताव के अलावा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र राज्यपाल की शपथ ली

मुंबई, 10 मार्च। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और

- वे महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल हैं।

गोपनीयता की शपथ दिलाई।

लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। वे महाराष्ट्र के 22 वें राज्यपाल बने हैं। लोकभवन में शपथ विधि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से हुई तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुझाव दिया कि संपत्ति के अधिकारों में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत जल्दबाजी कर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहती। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शरीयत के प्रावधानों को हटाने से मुस्लिम महिलाओं को 1925 के भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत अधिकार मिल सकेंगे।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और इस पर अंतिम निर्णय संसद और सरकार को ही लेना होगा। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देते।

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा

'मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक मिले'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका एक ही तरीका है यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी)

- सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए कही। मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर इस रिट याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उन प्रावधानों को चुनौती दी गई, जो महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति का हक नहीं देते हैं।

- चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि शरीयत को हटा दिया तो कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार का कोई अन्य कानून नहीं है।

- कोर्ट ने कहा, इस समस्या का समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकता है। पर इसका क्रियान्वयन संसद का विशेषाधिकार है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति बागची ने एक पुराने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। याचिकाकर्ता

कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, जो चाहती हैं कि कानून में उन्हें वैतुक संपत्ति में हिस्सा मिले।

पीठ का मानना था कि अगर शरीयत को हटा दिया जाता है, तो

कानूनी खालीपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार के लिए कोई दूसरा कानून मौजूद नहीं है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उत्तराधिकार का कानून एक नागरिक अधिकार है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता। उन्होंने तीन तलाक मामले में अदालत के उस फैसले का उदाहरण दिया, जिसमें इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब पीठ ने पूछा कि शरीयत के तहत उत्तराधिकार के प्रावधान को खत्म करने के बाद वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था क्या हो सकती है, तो प्रशांत भूषण ने याचिका में संशोधन करने पर सहमति जताई। इसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।

राज्यपाल बागडे आईसीयू में भर्ती

जयपुर, 10 मार्च। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को आज एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया है। राज्यपाल आज अपनी रूटीन जांच करवाने दोपहर करीब 1 बजे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल ब्लड समेत

- रूटीन जांच के लिए एसएमएस अस्पताल गये। वहां घबराहट के बाद बुखार आ गया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया।

अन्य रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। यहां जांच के दौरान घबराहट होने के बाद उनको बुखार आ गया, जिसके बाद उनको मेडिकल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंद हो सकते हैं कई होटलों और रैस्त्रां के किचन

अगर एलपीजी गैस की आपूर्ति जल्दी ही व्यवस्थित नहीं हुई तो

- ईरान संकट ने देश के पेट्रोलियम व एलपीजी सैंक्टर में भारी कमी पैदा कर दी है, जिससे सबसे भारी संकट हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर के समक्ष उत्पन्न हो गया है।
- भारी मंदी से उबर कर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा होटल उद्योग एक बार फिर मंदी की ओर अग्रसर हो सकता है। इस उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि हालात बिगड़े इससे पहले हस्तक्षेप करे। सरकार हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर के लिए कॉमर्शियल एलपीजी की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करे तभी इस उद्योग को बचाया जा सकता है।
- हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है, अगर यह सैंक्टर प्रभावित हुआ तो बेरोजगारी में भी भारी वृद्धि हो सकती है। साथ ही देश की जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है।

कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पर रेस्तरां बंद होने की नौबत आ सकती है। इस कमी का तत्काल कारण भारत की सीमाओं से काफी दूर दिखाई देता

है। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब ग्लोबल एनर्जी स्पलाई चैन को प्रभावित करने लगा है, जिसमें खाड़ी देशों से आने वाली एलपीजी की आपूर्ति भी

शामिल है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, और इसका अधिकतर हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर आता है। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट या सिक्यूरिटी रिस्क बढ़ने से टैंकरों की आवाजाही धीमी हो सकती है, माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ सकती है और भारत जैसे आयात करने वाले देशों में एलपीजी की उपलब्धता कम हो सकती है।

स्पलाई में रुकावट की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य घरों में गैस की कमी को रोकना है, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम यह हुआ है कि रेस्तरां, होटल और केटरिंग इकाइयों जैसे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ गया है। चूंकि रेस्तरां बड़े व्यावसायिक सिलेंडरों पर ही निर्भर रहते हैं और रोज बड़ी संख्या में उनका

उपयोग करते हैं, इसलिए स्पलाई में थोड़ी सी भी रुकावट से काम रुक सकता है।

इसका असर केवल रेस्तरां मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, रसोइये, वेटर, डिलीवरी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और स्प्लायर, जिनमें से कई लोग रोज़ की मजदूरी या कम मासिक आय पर निर्भर होते हैं। यदि बड़ी संख्या में रेस्तरां बंद होते हैं, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हों, तो इससे शहरों में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इस संकट का एक व्यापक आर्थिक पहलू भी है। हॉस्पिटैलिटी इण्डस्ट्री अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे गंभीर झटके से उबर पायी है। कई प्रतिष्ठान अब भी उस समय लिए गए कर्ज चुका रहे हैं और साथ ही बढ़ते किराए, खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों और बढ़ते श्रम खर्च का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर, 10 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र 24 दिन तक चलने के बाद, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र के अंतिम दिन नगरपालिका संशोधन बिल पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे बजट सत्र की

- स्पीकर देवनानी ने कहा कि बजट सत्र में कुल 24 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली।

समीक्षा प्रस्तुत की। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि बजट सत्र के दौरान कुल 24 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही संचालित हुई, जिसमें विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर भी बहस हुई। सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।